<u>आयकर अपीलीय अधिकरण,</u>

<u>इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर</u>

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 185/इंदौर/ 2024

निर्धारण वर्ष : 2012-13

शांतिलाल अमरजी गहलोत हि.अ.कु, 1, श्रीयोगमाया मेन गेट के पास, रिंगरोड, धार	बनाम	आयकर अधिकारी धार
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं. एबीजीएचएस 5538 ए PAN - ABGHS5538A		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री पंकज शाह तथा श्री सौम्य बंब, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	08.08.2024
उद्‌घोषणा तिथि :	09.08.2024

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्‌वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती द्‌वारा यह अपील विद्‌वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 24.01.2024 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्‌वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में विद्‌वान निर्धारण अधिकारी इसी तरह विद्‌वान आयकर आयुक्त

(अपील) ने निर्धारिती के विरूद्ध एक पक्षीय (Ex Parte) आदेश पारित किए गए हैं । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारिती (हि.अ.कु) ग्राम रिंगनोद जिला धार में पेस्टीसाईट दवाईयों का खुदरा व्यापारी है । विचाराधीन निर्धारण वर्ष के दौरान निर्धारिती का सकल व्यापारावर्त (gross turnover) तकरीबन रु. 21,15,000/- था तथा उसकी करयोग्य आय रु.1, 69,200/- है जो कि आयकर अधिनियम की धारा 44एडी के अनुसार अतः करयोग्य आय की सीमा से कम है । वर्तमान अपील में विचाराधीन मुद्दा यह है कि विचाराधीन निर्धारण वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उसकी पेस्टीसाईट दवाईयों की रिटेल बिक्री से प्राप्त राशि तथा हिन्दु अविभक्त कुटुंब (HUF) की कृषि आय कुल रु. 22,65,405/- को श्री राजेन्द्र सूरी साख सहकारिता मर्यादित बैंक, रिंगनोद में जमा किया गया था तथा पेस्टीसाईट दवाईयों की खरीद इस जमा राशि से निकाली गई राशियों से की गई थी । चूंकि निर्धारिती को विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था, अतः निर्धारिती इससे संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य विद्वान निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया था । अतः निर्धारण अधिकारी ने धारा 144 के अधीन एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए क्रय एवं विक्रय राशियों को करयोग्य आय मानने में भूल की है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि निर्धारिती को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया जाए तथा इस अपील को नये सिरे से न्यायनिर्णयण हेतु विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाए ताकि निर्धारिती उसके दावे के समर्थन में संबंधित दस्तावेजों को विद्वान निर्धारण अधिकारी के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत कर सकें । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि इस अपील को विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, मैं इस मामले को निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उचित न्यायनिर्णयन हेतु विद्वान क्षेत्राधिकार (jurisdictional) निर्धारण अधिकारी की फाईल में वापिस भेजना

उचित समझता हूँ । मैं तद्नुसार आदेश करता हूँ । निर्धारिती को भी विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत सुनवाईयों में भाग लेना सुनिश्चित करने और अनावश्यक स्थगन नहीं मांगने का निदेश दिया जाता है ।

3. परिणामतः निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 09.08.2024 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 09.08.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल